संख्या- 61/2022/2136 /002-54-2002-002-1-2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" हेतु प्रावधानित एवं "89-संगत राज्यांश-8902-समन्वित बाल विकास परियोजना के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्यार-302/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 06 जुलाई, 2022 एवं निदेशालय पत्र संख्यार-456/बा0वि0परि/लेखा/2022-23, दिनांक 27 जुलाई, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु संलग्नक में उल्लिखित योजना में उपशीर्षकों में दिये गये मानक मदवार विवरण के अनुसार प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-35/2022/788/001-2-3-2-17 टीसी-ए, दिनॉक 19.04.2022 द्वारा लेखानुदान में प्रावधानित धनराशि रू0 119133.20 के सापेक्ष लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना (वेतन व भत्ते-के.25, अन्य के.60) में केन्द्रांश रू0 29783.50 लाख एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-समन्वित बाल विकास परियोजना (वेतन व भत्ते-रा.75, अन्य रा.40) में प्रावधानित धनराशि रू0 104364.61 के सापेक्ष रू0 26091.10 लाख अर्थात कुल रू0 55874.60 लाख, जिसमें वेतन, महगांई भत्ता, अन्य भत्ता एवं मकान किराया भत्ता मद में कुल रू0 10689.35 लाख (केन्द्रांश रू0 2672.35 लाख व राज्यांश 8017.00 लाख) की धनराशि सम्मिलित है, की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अन्त,र्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0101-समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान (वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)" में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 50470.89 लाख के सापेक्ष रु0 6705.04 लाख (रुपया सरसठ करोड़ पांच लाख चार हजार मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा । उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा । यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी ।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्य य करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 एवं शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020101 (समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021020101 समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	45,78,60,000 (रुपये पैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख साठ हजार मात्र)
2	049	2235021020101 समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	18,75,67,000 (रुपये अठारह करोड़ पचहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	049	2235021020101 समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान	06 अन्य भत्ते	1,11,000 (रुपये एक लाख ग्यारह हजार मात्र)
4	049	2235021020101 समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	2,49,66,000 (रुपये दो करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार मात्र)
	कुल			**67,05,04,000 (रुपये सड़सठ करोड़ पांच लाख चार हजार मात्र)**
महायोग	67,05,04,000 (रुपये सड़सठ करोड़ पांच लाख चार हजार मात्र)			

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-4-140-X-2022-23, दिनांक 08-08-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 61/2022/2136(1)/002-54-2002-002-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in
आंगनवाड़ी उत्तरप्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।